संख्या-10/2021/1550/63-व0उ0-2021-155(एच)/2017

प्रेषक,

पी0 के0 पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊ: दिनांकः 20 दिसम्बर, 2021

विषय:- परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी की संरचना में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 के अन्तर्गत, योजना के संचालन हेतु निर्गत शासनादेश सं0-344/63-व0उ0-2018-155(एच)/17 दिनांक 12 फरवरी 2018 के बिन्दु-8 पर उल्लिखित योजना के संचालन हेतु सक्षम कमेटियों का गठन किया गया है। दिनांक 25.11.2021 को शासन स्तर पर सम्पन्न समीक्षा बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुपालन में परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी की संरचना में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

आवेदन पत्र का प्रारुप	**परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी की पूर्व की संरचना**	**परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी की नई संरचना**
प्रारुप -1	**वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित इकाईयों हेतु**	
प्रारुप -2 प्रारुप -3 प्रारुप -4	1-सम्बन्धित प्रबन्धक, निट्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर **- सदस्य** **अथवा** 2-सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय **अथवा** 3-वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रभारी अधिकारी परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग **-संयोजक**	1- परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग **-अध्यक्ष।** 2- जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से सम्बन्धित उप आयुक्त **अथवा** उनके द्वारा नामित सहायक आयुक्त/सहायक प्रबन्धक **-सदस्य।** 3- विभाग में नियुक्त वस्त्र क्षेत्र का तकनीकी कार्मिक **-सदस्य।**

4- हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-344/63-व0उ0-2018-155(एच)/17 दिनांक 12 फरवरी 2018 की अन्य सभी नियम/शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीय,
(पी0 के0 पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या-10/2021/1550(1)/63-व0उ0-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0 प्र0, कानपुर।
2- निदेशक, निट्रा, गाजियाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कान्सलटेन्ट (यूपिको) कानपुर।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(पी0 के0 पाण्डेय)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।